IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# भारतीय शिक्षा प्रणाली में शैक्षिक नीतियों की विकास यात्रा एवं चुनौतियों का अध्ययन

**डॉ.आशिया खातून**

शिक्षाशास्त्र

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ0प्र0)

**सारांश –**

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों के विषय में चर्चा की गयी है स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार की प्रमुख चिंता अंग्रजों की विरासत से दूर शिक्षा की अपनी स्वच्छंद व्यवस्था को विकसित करने की है। देश ने सभी के लिए गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि शिक्षा को सार्वभौमिक रूप से व्यक्ति के साथ–साथ समाज के विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में स्वीकार किया जाता है भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न आयोगों जिसमें विश्वद्यिालय शिक्षा आयोग (1948–1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–1953), शिक्षा आयोग (1964–1966), के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली को दिशा प्रदान करने हेतु दिशानिर्देशों को विकसित करने के लिए सहायता ली है। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति–1968, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति–1986, क्रियान्वयन कार्यक्रम (1992), आई. सी. टी. (2012)के लिए राष्ट्रीय नीति और भारत में शिक्षा पर एक नई नीति की रूपरेखा जारी की, जो बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के रूप में देश के समझ आई। इनमें चिंताओं और सिफारिशों को समय समय पर संबोधित किया गया है।

**मुख्य शब्द**– विश्वविद्यालय शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्रियान्वयन कार्यक्रम एवं आई. सी. टी. इत्यादि।

**प्रस्तावना–**

जीवन में शिक्षा के महत्व को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलावों के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। करीब तीन दशक के बाद देश में शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। एन. पी. ई. 1968 ने कोठारी आयोग 1964–66 की सिफारिशों को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिन्हित किया गया था। इस नीति ने लगभग 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा का मार्गदर्शन किया। उसके बाद अगली सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, निरौपचारिक शिक्षा, शिक्षा का व्यावसायिकीकरण, मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा, नौकरियों से डिग्री अलग करने पर बल देती है। ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थान, तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा और पिछड़े वर्गों, दिव्यांग आदि पर बल देती है। बीसवीं सदी के बदलते शैक्षिक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाएँ रखने के लिए नई शिक्षा नीति तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्ष 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। उम्मीद की जा रही है कि यह शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में नवीन और सर्वांगीण परिवर्तनों की आधारशिला रखेगी। विदित है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को तैयार करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया आयोजित की गयी थी जिसमें देश के विभिन्न वर्गों से रचनात्मक सुझाव मांगे थे। प्राप्त सुझावों और विभिन्न शिक्षाविदों के अनुभव के आधार पर शिक्षा तक सब की आसान पहुँच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह शिक्षा नीति सतत विकास के लिए 'एजेंडा 2030' के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल विद्यालय और महाविद्यालय की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदलकर प्रत्येक विद्यार्थी में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है।

## शोध अध्ययन के उद्देश्य–

1. भारत की विभिन्न शैक्षिक नीतियों के उद्देश्य एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करना।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करना।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की प्रासंगिकता के लिए विभिन्न नीतियों द्वारा निर्धारित शिक्षा के विभिन्न लक्ष्यों का अध्ययन करना।
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की प्रमुख अनुसंशाओं का अध्ययन करना।

## भारत में शैक्षिक नीतियों की विकास यात्रा–

शिक्षा सभी प्रकार के विकास की नींव है इसलिए स्वतंत्रता के बाद शिक्षा प्रणाली में सुधार भारत सरकार की चिंताओं का मुख्य विषय था स्वतंत्र भारत में अच्छी शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए कई पहल की गई और कई नीतियाँ बनायी गई। उनमें प्रमुख है शिक्षा आयोग (1964–66) की सिफारिशों पर, 1968 में भारत में पहली शिक्षा नीति लागू की गयी थी। इसके बाद शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की घोषणा की गई और एक लम्बे अंतराल के बाद 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रूपरेखा भारत सरकार द्वारा तैयार की गई। एन.पी.ई. 1986 के बाद प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992) लाया गया। जिसके द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिए नक्शा दिया गया।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968–

शिक्षा आयोग (1964–66), जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है यह शिक्षा का व्यापक आयोग था जिसने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के सभी स्तरों को समाविष्ट किया। कोठारी आयोग की सिफारिशों को साकार करने के लिए शिक्षा पर पहली (1986) में लायी गई थी। देश की सामाजिक–सांस्कृतिक व आर्थिक विकास के लिए शिक्षा का पूर्णतयः पुनर्निमाण की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा आयोग (1964–66) द्वारा सिफारिश की गई थी। इसने चरित्र–निर्माण,

नैतिक विकास के साथ–साथ सामान्य नागरिकता और राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करने आदि में शिक्षा की सशक्त भूमिका को मान्यता दी गयी।

**प्रमुख संस्तुतियाँ–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार हैः–

- **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा–**एन.पी.ई. 1968 ने सिफारिश की कि 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए और विद्यालयों में अपव्यय और अवरोधन को कम करने के लिए कठोर प्रयास किए जाने चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर बच्चा जो विद्यालय में नामांकित है, सफलतापूवर्क निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करे।
- **शिक्षक की स्थिति, भत्ते व शिक्षा–**नीति ने शिक्षा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और राष्ट्रीय विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता दी है इसने शिक्षकों की स्थिति और सेवा की स्थिति में सुधार पर बल दिया और स्वतंत्र अनुसन्धानों को आगे बढ़ाने और प्रकाशित करने तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शिक्षकों की शैक्षिक स्वतंत्रता की सिफारिश की। सेवारत शिक्षक शिक्षा पर भी बल दिया गया है।
- **भाषाओं का विकास–**इस नीति ने शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को रेखांकित करते हुए क्षेत्रीय भाषा के उपयोग को शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। जिसमें आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन ,अधिमानतः दक्षिणी भाषाओं मे से एक हिंदी भाषायी प्रान्तों में हिंदी और अंग्रेजी शामिल है।
- **शैक्षिक अवसर की समानता–** नीति ने सभी को ध्यान में रखते हुए धर्म, वर्ग, क्षमताओं, लिंग, जाति आदि ग्रामीण और शहरी, पुरूष और महिला के लिए शैक्षिक सुविधाओं के बीच अंतर को कम करने के लिए शैक्षिक अवसर को समान करने के लिए गंभीर प्रयास पर बल दिया। इसमें सुझाव दिया कि सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 'कॉमन विद्यालय सिस्टम' को अपनाया जाना चाहिए।
- **प्रतिभा की पहचान–** इस नीति ने विभिन्न क्षेत्रों में जल्द से जल्द प्रतिभाओं की पहचान पर बल दिया और इसके पूर्ण विकास के अवसर प्रदान किए।
- **कार्य अनुभव राष्ट्रीय सेवा–** विद्यालय और समुदाय के बीच घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, नीति ने माना कि कार्य अनुभव, सामुदायिक सेवा और राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होना चाहिए इन कार्यक्रमों से चरित्र निर्माण और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी।
- **विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान–** नीति ने सिफारिश की कि विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च_प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास को गति देता है।
- **कृषि और उद्योग के लिए शिक्षा–** प्रत्येक राज्य में कम से कम एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने और कृषि के एक या अधिक पहलुओं के अध्ययन के लिए विभागों को विकसित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों की सहायता करके कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए विशेष प्रयासों पर बल दिया। तकनीकी और देश की कृषि, औद्योगिक और अन्य तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा में छात्रों को व्यवहारिक विवरण दिया जाना चाहिए।
- **पुस्तकों का उत्पादन–**नीति ने पुस्तकों में लगातार परिवर्तन और उनकी उच्च कीमत की आलोचना की। इसने विश्वविद्यालय स्तर सहित सभी स्तरों के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकों के बारे में विशेष ध्यान देने की

संस्तुति की। इसने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के महत्व पर भी बल दिया और संस्तुति की कि पूरे देश में कुछ बुनियादी पाठ्यपुस्तकों को सामान्य बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

- **माध्यमिक शिक्षा :** सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख साधन के रूप में माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया और इस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए सुविधाओ को बढ़ाने पर बल दिया।
- **विश्वविद्यालय शिक्षाः** विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में एन. पी. ई. 1968 द्वारा कई महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ की गयी थी। इनमें पर्याप्त धन प्रावधनो के बाद नए विश्वविद्यालयों का स्थापना शामिल है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पर ध्यान देना और प्रशिक्षण व अनुसंधान सुविधाओं में सुधार आदि। इसमें छात्रों को अग्रिम अध्ययन और उचित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं के केंद्रों को मजबूत करने की भी सिफारिश की।
- **अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रमः** विश्वविद्यालय और विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और श्रमिकों के लिए बड़े पैमाने पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के रूप में एक ही स्थिति के अंशकालीन शिक्षा और पत्राचार पाठ्यक्रम विकसित करना।
- **साक्षरता और वयस्क शिक्षा का प्रसारः** सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करके सामूहिक निरक्षरता का परिसमापन।
- **शैक्षिक संरचनाः** 10+2+3 अनुक्रम स्वरूप को अपनाकर देश के सभी भागों में समान शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया। राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत का व्यय बढ़ाकर शिक्षा में निवेश में क्रमिक वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करना।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने स्वतंत्रता के पश्चात् के भारतीय इतिहास में शिक्षा को महत्वपूर्ण कदम के रूप में चिन्हित किया गया क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रगति और एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ पहली नीति थी। इस नीति ने लगभग 20 वर्षों तक भारत में शिक्षा का मार्गदर्शन किया। महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ, पूरे देश में सामान्य शिक्षा प्रणाली यानि 10+2+3 की शुरूआत हैं। शिक्षा प्रणाली के एक आमूलचूल पुनर्निमाण की आवश्यकता और सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता में सुधार के साथ–साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान देना है।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986–

1986 में शिक्षा प्रणाली की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने का एक और प्रयास किया गया था 1985 में नीतिगत दस्तावेज ''शिक्षा की चुनौतियाँ–नीति परिपेक्ष्य'' से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 निकाली गई थी, जिसकी देश भर में व्यापक रूप से चर्चा थी और प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सम्मिलित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मई 1986 में 'संसद' द्वारा अपनाया गया। नीति ने माना कि ''शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक अनूठा निवेश है।''

**प्रमुख संस्तुतियाँ–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख संस्तुतियाँ इस प्रकार हैः–

- **राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालीः** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली का सुझाव दिया। राष्ट्रीय प्रणाली ने एक सामान्य शैक्षिक संरचना की परिकल्पना की है, अर्थात् 10+2+3 जैसा कि एन. पी. ई. 1986 द्वारा सुझाया गया है। यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित थी जिसमें मूल घटक के साथ कुछ

सामान्य घटक भी शामिल थे। सामान्य मूल घटकों में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, संवैधानिक दायित्वों और अन्य सामग्री जो राष्ट्रीय पहचान को पोषित करने के लिए आवश्यक है।

- **प्रारंभिक बाल्यकाल की देखभाल और शिक्षाः** इस नीति में छोटे बच्चों की शिक्षा और देखभाल को बहुत महत्व दिया है विशेष रूप से पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों ने समेकित बाल विकास सेवा, बालवाडी, राज्य सरकार व नगरपालिका के प्री–प्राइमरी विद्यालयों और बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम की सिफारिश की है।
- **प्राथभिक शिक्षा तथा ऑपरेशन ब्लैकबोर्डः** राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्राथमिक शिक्षा के तीन पहलुओं को एक नया बल दिया है, जो हैः–

**I.** सार्वभौमिक नामांकन,

**II.** 14 वर्ष तक के बच्चों की सार्वभौमिक अवधारणा, तथा

**III.** शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार।

नीति में बाल केंद्रित और क्रिया आधारित अधिगम प्रक्रिया व शारीरिक दंड के कुल बहिष्करण पर बल दिया गया।

- **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों की शिक्षाः** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों की शिक्षा के विषय में आदिवासी क्षेत्रों, अनुसूचित जाति क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर खोलने की सिफारिश की और 1990 तक 6–11 आयु वर्ग के एससी और एसटी बच्चों के शतप्रतिशत नामांकन के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया।
- **दिव्यांग बच्चों की शिक्षाः** एन.पी. ई. ने शारीरिक दिव्यांगता वाले बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया है और सामान्य बच्चों की तरह अन्य निम्न दिव्यांगता को भी सामान्य माना जाना चाहिए। गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए जिला मुख्यालयों पर छात्रावास सुविधाओं के साथ विशेष विद्यालय स्थापित करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और दिव्यांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयास के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।
- **माध्यमिक शिक्षाः** विशेष रूप से असेवित क्षेत्रों में लडकियों, एस. सी. और एस. टी. बच्चों के नामांकन तक पहुँच को व्यापक बनाने का कार्यक्रम। ग्रामीण क्षेत्रों में एस. सी. और एस. टी.के लिए विशेष प्रतिभा वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की स्थापना।
- **शिक्षा का व्यावसायिकीकरणः** नीति ने व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता और महत्व को पहचाना और माध्यमिक शिक्षा के 2 चरण में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संस्तुति की। यह प्रस्तावित किया गया था कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, 1995 तक 10 प्रतिशत उच्चतर छात्रों को और 2000 तक 25 प्रतिशत को दे।
- **उच्च शिक्षाः** इसमें मौजूदा व्यवस्था में सभी सुधारों का सुझाव दिया और यूजीसी के निर्देशों के अनुसार स्वायत्त विभाग और स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया इसमें शिक्षण विधियों में परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रमों के संयोजन मे वृद्धि के लचीलेपन का भी सुझाव दिया।
- **मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षाः** उच्च शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाने के लिए 'ओपन लर्निंग सिस्टम' की शुरूआत की गई। नीति ने देश में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली समन्वय के लिए इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय को जिम्मेदारी सौंपी। विश्वविद्याालय में अनुसंधान सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया।

- **ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थापनाः** नीति ने गाँधीवादी बुनियादी शिक्षा पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय और संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की।
- **तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षाः** तकनीकी और प्रबन्ध के अलग– अलग प्रकार्यों की आलोचना की इन दोनों के एकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। इसमें वर्तमान शिक्षा के साथ–साथ उभरती हुई तकनीकों को बढ़ावा दिया। तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त औपचारिक और गैर औपचारिक कार्यक्रम महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लाभ के लिए तैयार किए जाएंगे।

## क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992–

1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रभावशीलता की समीक्षा करने के लिए सरकार ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने ''टुवर्डस् एनवाइटेड एंड ह्यूमेन सोसाइटी'' नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। राममूर्ति समिति के सुझावों पर विचार करने से पहले सरकार ने जुलाई 1991 में एक और समिति का गठन किया। जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ संशोधन के साथ राममूर्ति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा। श्री जनार्दन रेड्डी इस समिति के अध्यक्ष थे और उन्होनें अपने सुझाव प्रस्तुत किए। जनवरी 1992 में इस दस्तावेज को 'प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992' के रूप में जाना जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में 23 खंड हैं नीति का मुख्य जोर सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताओं को दूर करके शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। इसका उद्‌देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की भावना, युवा के मस्तिष्क में मूल्यों का विकास और सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है नीति ने सुझाव दिया कि निजी विद्यालयों को आम विद्यालयों में परिवर्तित किया जाना चाहिए और 'कॉमन विद्यालय सिस्टम' की प्रगति के लिए निम्न कारणों को चित्रित किया जाना चाहिए। जो इस प्रकार हैंः–

**A.** आर्थिक और सामाजिक विषमताएँ
**B.** अल्पयंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासक के लिए संवैधानिक संरक्षण।
**C.** सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की खराब गुणवत्ता
**D.** राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और
**E.** सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और नवोदय विद्यालय का अस्तित्व।

संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समिति के कई सुझावों की कल्पना की गई है लेकिन इन विचारों और आदर्शों को ठोस रूप प्रदान करने के लिए विशिष्ट कदम तैयार किए जाने चाहिए। समिति के कई सुझाव, जो अच्छे प्रतीत होते हैं, को आगे बढ़ाने और विवरणों को हल करने की आवश्यकता है।

## आई. सी. टी. के लिए राष्ट्रीय नीति 2012–

प्रत्येक देश की तरह भारत ने भी शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को महसूस किया। इसलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, (जिसे 1992 में संशोधित किया गया है) विद्यालयों में कंप्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना और साथ ही प्रायोगिक आधार पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी की शुरूआत की गई इसे सूचना और प्रौद्योगिकी विद्यालय कहा जाता है नई सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को शामिल करने के लिए इस योजना को आगे बढ़ाया गया। प्राथमिक शिक्षा के सर्वशिक्षा अभियान पहल में आईसीटी के इष्टतम उपयोग में सहायता के लिए दिशानिर्देश के साथ

एक नीति की आवश्यकता थी। इसलिए 2012 में भारत सरकार द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर एक राष्ट्रीय नीति लाई गई थी। विद्यालयी शिक्षा में आई. सी. टी. नीति का उद्देश्य युवाओं को रचनात्मक रूप से ज्ञान, समाज के विकास में भागीदारी के लिए तैयार करना है, जिससे सभी सामाजिक राष्ट्र का आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की जाए।

**लक्ष्य**–नीतिगत लक्ष्य जो विद्यालयी शिक्षा में आई. सी. टी. नीति प्रयास करेगी निम्नानुसार हैः–

1. आई. सी. टी. युक्त संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करना।
2. आई. सी. टी. विशेषज्ञ शिक्षकों और छात्रों का एक कार्यबल बनाएँ जो आई. सी. टी. की सुविधाओं को तैनात और उपयोग कर सकते है। और समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं।
3. शिक्षा में आई. सी. टी. की क्षमता पर वैकल्पिक उपयोग और अधिकतम प्रयोग के लिए एक मांग के निर्माण के लिए अनुकूल, सहयोग और साझा करने का माहौल बनाएँ।
4. आई. सी. टी. और आई. सी. टी. सक्षम उपकरणों के साथ–साथ संसाधनों का भण्डार विकसित करना जो सभी छात्रों और शिक्षको के लिए उपलब्ध होना चाहिए।
5. योग्य छात्रों और शिक्षकों को डिजिटल संसाधनों के विकास और उपयोग में भाग लेने के लिए स्थानीय गुणवत्ता केन्द्र के विकास को बढ़ावा देना।
6. शिक्षकों के संसाधन साझाकरण और प्रशिक्षण, साथ ही साथ छात्रों को परामर्श और शैक्षणिक सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षकों और विद्यालय का एक कुंड बनाएँ।
7. विद्यालयी शिक्षा में आई. सी. टी. की क्षमता को पूरी तरह से निकालने के लिए अनुसन्धान और प्रयोग के माध्यम सें आई. सी. टी. उपकरण और आई. सी. टी. सक्षम अभ्यासों में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करें।
8. समाज को प्रेरित करना और उन्हें आई. सी. टी. के उचित उपयोग के माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने की सुविधा देना।

## शिक्षा नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों–

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यतकाओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।
- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

## राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 –

भारतीय शिक्षा संरचना और प्रबंधन को नई शिक्षा नीति 1986 द्वारा लंबे समय के लिए निर्देशित किया गया। इस बीच वैश्विक स्तर पर बहुत सारे बदलाव हुए और साथ ही शिक्षा में 'भारत–केन्द्रित' नीति की आवश्यकता के विषय में देश में बहस भी हुई। वर्ष 2015 में भारत ने यूनेस्को के सतत विकास के लक्ष्य 2030 से अपनी सहमति दर्शाते हुए उसे अपनाया। इससे परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा–4, 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता

की शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने'' की मांग की गई है। नई शिक्षा नीति के अंतगर्त ही 'मानव संसाधन विकास मंत्रालय' का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' करने को भी मंजूरी दी गई है।

**प्रमुख अनुशंसाएँ**–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख अनुशंसाएँ इस प्रकार हैः–

- पूर्व–प्राथमिक से कक्षा 12 तक विद्यालय के सभी स्तरों पर सभी की पहुँच सुनिश्चित करना एवं 3–6 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- 5+3+3+4 व्यवस्था वाली नयी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना जिसमें आधारभूत प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक शामिल है।
- व्यवसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच, कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर गतिविधियों के बीच कोई कठिन अलगाव नहीं है।
- संस्थापक साक्षरता और संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना।
- बहुभाषा और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर, कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी।
- मूल्यांकन सुधार –किसी भी शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो बार तक कोई परीक्षा और एक सुधार के लिए, यदि वांछित हो।
- एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केन्द्र की स्थापना।
- समान और समावेशी शिक्षा– सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष जोर दिया।
- वंचित क्षेत्रों और समूहो के लिए एक अलग लिंग समावेशन निधि और विशेष शिक्षा प्रक्षेत्र।
- शिक्षकों की भर्ति और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था।
- विद्यालयों शंकुलों और समूहो के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण की स्थापना एवं विद्यालय और उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव।
- उच्च शिक्षा में जीईआर को 50% तक बढ़ाना।
- एकाधिक प्रवेश, निकास विकल्पों के साथ समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा।
- उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की पेशकश करनें के लिए एन. टी. ए.।
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना।
- बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना।
- शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने और चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐकल अतिव्यापी निकाय–मानक निर्धारण के लिए भारत के उच्च शिक्षा आयोग स्वतंत्र निकायों–सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण–उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, मान्यता–राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और विनियमन–राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद।
- जीईआर बढ़ाने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।
- शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण।

- व्यवसायिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है एकल तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालय या इन या अन्य क्षेत्रों में संस्थान, बहु–विषयक संस्थान बनाने का लक्ष्य रखेंगे।
- शिक्षक शिक्षा–4–वर्षीय एकीकृत चरण–विशिष्ट, विषय– विशिष्ट शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम।
- सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना करना।
- स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम का निर्माण, शिक्षण मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना साथ ही शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण।
- 100 % युवा और वयस्क साक्षरता प्राप्त करना।
- नियन्त्रण और समन्वय के साथ कई तंत्र, उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण का मुकाबला करेंगे और रोकेंगे।
- सभी शिक्षा संस्थानों को ऑडिट और प्रकटीकरण के समान मानकों के लिए ''लाभ के लिए नहीं'' इकाई के रूप में नियोजित किया जाएगा।
- केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए जीडीपी के 6 % तक जल्द से जल्द पहुँचने के लिए मिलकर काम करेंगे।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान लाने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ऑफ एजूकेशन को मजबूत करना है
- शिक्षा मंत्रालय शिक्षा पर समग्र सीखने पर ध्यान वापस लाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के रूप में एमएचआरडी को फिर से नामित करना वांछनीय हो सकता है।

**शैक्षिक नीतियों से संबंधित चुनौतियाँ–**

1. **महंगी शिक्षाः** नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वद्यिालय के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है, विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वद्यिालय के प्रवेश में भारतीय शिक्षण व्यवस्था महंगी होने की संभावना है परिणामस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
2. **शिक्षको का पलायनः** विदेशी विश्वद्यिालय के प्रवेश में भारत के दक्ष शिक्षक भी इन विश्वद्यिालयों में अध्यापन हेतु पलायन कर सकते हैं।
3. **शिक्षा का संस्कृतिकरणः** दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि–भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
4. **संसद की अवहेलना–** भारतीय शिक्षा की दशा व दिशा तय करने वाली इस नीति को अनुमति देने में संसद की प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया। पूर्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भी संसद के द्वारा लागू की गई थी।
5. **मानव संसाधन का अभावः** वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ है।

**निष्कर्ष–** राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अपूर्ण एजेंडा के साथ 1992 में संशोधित नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए महसूस किया गया था भारत सरकार ने डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ढ़ांचा तैयार करने वाली इस समिति ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मई 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को प्राप्त हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शैक्षिक सुधारों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है क्योंकि यह मौजूदा शिक्षा प्रणाली की कमियों को दूर करती है। छात्र भारतीय विरासत और मूल्यों की गहरी समझ के साथ–साथ आवश्यक कौशल हासिल कर सकेंगे। इससे वे आधुनिक संसार की जटिलताओं के लिए स्वयं को तैयार कर सकेंगे।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची–**


1. अग्रवाल,जे. सी.(1985). डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ मॉडर्न एजूकेशन, वाणी एजूकेशनल बुक्स, नई दिल्ली।
2. चौबे, एस. पी.(1988).हिस्ट्री एंड प्रोब्लम्स ऑफ इंडियन एजूकेशन, विनोद पुश्पक मंदिर आगरा, यू. पी.।
3. ड्राफट राष्ट्रीय शिक्षा नीति .(2019).
4. रावत,पी.एल. भारतीय शिक्षा का इतिहास आगरा, यू. पी.राम प्रसाद एंड संस।
5. सफाया, आर. एन. (1983). भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं दिल्ली, 9 वां संस्करण, धनपत राय एंड संस।
6. शर्मा, आर. एन.,इतिहास और भारत में शिक्षा की समस्याएँ दिल्ली, सुरजीत प्रकाशन।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992).में संशोधन के साथ https//www.ncert.nic.in/oth_anoun/npe86.pdf.
8. पाण्डेय, रामशक्ल (2005). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।
9. पाण्डेय, आर.एम. (2012). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आगरा, विनोद पुस्तक मन्दिर।